द न्यू फ्रेंड्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड

बनाम

राजेश चावला और अन्य

21 अप्रैल, 2004

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226 - सहकारी समिति – चुनाव - "ट्यतिक्रमी" होने के आधार पर नामांकन पत्रों की अस्वीकृति - उच्च न्यायालय ने उठाई गई मांगों को अस्वीकार कर दिया – आगे अन्य सदस्यों को भी धन वापसी के निर्देश दिया – अभिनिर्धारित किया, उच्च न्यायालय का आदेश सम्पोश्नीय नहीं है – इस मुद्दे पर की कोई सदस्य है या हनी, उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जाना है और रिट आवेदन प्रथम द्रष्टया उचित कदम नहीं था - अन्यथा भी, यह केवल चुनाव के सीमित उद्देश्य के लिए हो सकता है, और पार्टियों के अधिकार और दायित्व वैधानिक मंच द्वारा निर्णय के अधीन होंगे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलार्थी-सिमिति के क्रमशः अध्यक्ष, सदस्य और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे। इसी दौरान, एक व्यतिक्रमीयों के सूची तैयार की गई और प्रत्यर्थियों के नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिए गए। उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ चुनाव अधिसूचना को रद्द करने और आवश्यक जांच करने के बाद नए व्यतिक्रमियों की सूची तैयार करने का निर्देश देने की प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अभिनिधीरित किया कि प्रत्यर्थी 1 लगायत 3 व्यतिक्रमी नहीं थे और उनके खिलाफ की गई मांगें सम्पोश्लीय नहीं थीं। इसने आगे कहा कि ऐसे कई सदस्य हो सकते हैं जिनके लिए इसी तरह की मांगें जारी की गई थीं और वे समिति से राशि की वापसी के भी हकदार थे। व्यथित होकर, समिति ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

- 1.1. यह सवाल कि क्या कोई सदस्य व्यतिक्रमी था, उचित कार्यवाही में निर्णय लिया सुनाया जाना था और और रिट आवेदन प्रथम दृष्ट्या उचित कदम नहीं था। इसके अलावा, अन्य सदस्यों को धनवापसी का निर्देश, जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा भी नहीं खटखटाया है, पूरी तरह से दिमाग के उपयोग के बिना और अनावश्यक है। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय का आदेश सम्पोश्लीय नहीं है। [492-बी-ई]
- 1.2. यह मानते हुए कि कथित व्यतिक्रमियों के लिए उठाए गए रुख पर विचार किया जा सकता है और चुनाव के संचालन के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है, यह, यदि हो भी हो, तो केवल चुनाव के सीमित उद्देश्य के लिए हो सकता है; और पक्षों के अधिकार और देनदारियों का निर्णय अंततः और प्रभावी रूप से सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

के बदले कानून के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा किया जायेगा; और चुनाव की कार्यवाही के दौरान आए या दर्ज किए गए निष्कर्ष केवल पूर्वाग्रह के बिना होंगे और अंततः ऐसे वैधानिक मंचों द्वारा सभी या किसी भी कार्यवाही और निर्णय के अधीन होंगे। किसी भी मामले में उचित सुनवाई और प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किए बिना, उच्च न्यायालय अचानक निष्कर्ष पर पहुंच गया है। [492-बी-डी]

2. उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है और मामले को नए फैसले के लिए प्रतिपेषित किया जाता है। प्रत्यर्थी 1 लगायत 3 ने सहकारी समितियों के पंजीयक के समक्ष विवाद को मध्यस्थता द्वारा संदर्भित करने के लिए आवेदन दायर किया है, जो अकेले उनके नागरिक दायित्व को अंत में और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए उचित प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय, मामले के इस दृष्टिकोण में, रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने की वांछनीयता पर विचार करेगा। [492-एफ-जी; 493-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 538/ 2004

सी.डब्ल्यू.पी. सं.895/ 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.7.2003 से।

के. के. गुप्ता के लिए ए. के. ठाकुर, अपीलार्थी की ओर से। सुश्री विभा दत्ता मखीजा के लिए सिद्धार्थ दवे, प्रत्यर्थियों की ओर से। न्यायालय का निर्णय अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया अपीलार्थी-सोसायटी दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाती है, जिसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 3 व्यतिक्रमी नहीं थे और इसलिए, 4 अगस्त, 1984 से पहले की अविध के लिए उनके खिलाफ उठाई गई मांगें सम्पोश्लीय थीं। प्रत्यार्थिगगण संख्या 1 लगायत 3 उनके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 लगायत 3 थे। उच्च न्यायालय द्वारा आगे निर्देश दिया गया कि कई सदस्य हो सकते हैं जिन्हें इसी तरह की मांगें भेजी गई हैं। वे सोसाइटी द्वारा उनसे लिए गए किसी भी भुगतान की वापसी के भी हकदार थे।

अपीलार्थी-समिति के चुनाव अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 1.2.2003 और उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.1.2003 को अपास्त करने और व्यतिक्रमियों के सम्बन्ध में नए सिरे से जांच करने का निर्देश देने हेतु प्रत्यर्थियों द्वारा रिट आवेदन दायर किया गया। उन्होंने 1.2.2003 को होने वाले निर्धारित चुनाव में समिति के अध्यक्ष, सदस्य और उपाध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। रिट याचिका को पढ़ने से पता चलता है कि वे व्यतिक्रमियों की तैयार की गई सूची से संतुष्ट नहीं थे। रिट याचिका 8.1.2003 को दायर की गई थी। अपीलार्थी-सोसायटी के सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें संकेत दिया गया था कि रिट याचिकाकर्ताओं का यह रुख कि वे व्यतिक्रमी नहीं हैं, कैसे सही नहीं

था। यह विशेष रूप से इंगित किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष याचिका में लेखा पुस्तकें और पत्राचार 9.7.2003 को प्रस्तुत किए गए थे। मामला 25.7.2003 को सूचीबद्ध किया गया था लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अपीलार्थी के अधिकारी लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के साथ न्यायालय में उपस्थित थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि क्या रिट याचिकाकर्ता व्यतिक्रमी थे या नहीं। एक पत्र दिनांक 4.8.1984 का संदर्भ दिया गया था जिसमें यह कहा गया है कि प्लॉट नं. 230, सेक्टर VIII के धारक श्री राजेश और श्री राजीव चावला के खिलाफ कोई बकाया नहीं था। क्या कोई राशि बकाया थी, इसका फैंसला आम तोर पर प्रभावी ढंग से और अंततः रिट याचिका में नहीं किया जा सकता था और वह भी चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव कार्यवाही के दौरान संयोग से दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर किया गया था। सहकारी समिति के वैधानिक शासन और कार्यप्रणाली में अलग-अलग मंच उपलब्ध हैं जिनके तहत केवल ऐसे मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है जो पक्षों के पर्याप्त नागरिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं किया है और ऐसा लगता है कि उसने अल्पज्ञता और संक्षिप्त रूप से कार्रवाई की है। रिट याचिका में प्रार्थना निम्नलिखित प्रभाव से थीः

- "(i) परमादेश या किसी अन्य प्रकार की रिट या आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमे दूसरे और तीसरे प्रत्यर्थी को समिति की वर्तमान प्रबंध समिति द्वारा उन्हें सौंपी गई व्यतिक्रमियों की कथित सूची की जाँच करने का निर्देश दिया जाए:
- (ii) परमादेश या किसी अन्य प्रकार की रिट या आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमे दूसरे और तीसरे प्रत्यर्थी को आवश्यक जांच करने के बाद समिति के सदस्यों के व्यतिक्रमियों की एक नई और वास्तविक सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए;
- (iii) 1.2.2003 को सिमिति की प्रबंध सिमिति के चुनाव कराने के प्रस्ताव वाली अधिसूचना दिनांक 6.01.2002 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण लेख या किसी अन्य रिट या निर्देश या आदेश की एक रिट जारी करें;
- (iv) प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को 1.2.2003 को सोसायटी के सदस्यों का चुनाव कराने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या रिट, आदेश या निर्देश की तरह एक रिट जारी करें; और
- (v) दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।"

यह प्रश्न कि क्या कोई सदस्य व्यतिक्रमी था, उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जाना था और रिट आवेदन प्रथम दृष्टया उचित कदम नहीं था। यह स्वीकार किए बिना मान लें कि कथित व्यतिक्रमियों के लिए उठाए गए रुख पर विचार किया जा सकता है और चुनाव के संचालन के दौरान उस पर विचार किया जा सकता है, यह, यदि हो भी तो केवल च्नाव के सीमित उद्देश्य और समाज या सदस्य के अधिकार के लिए हो सकता है। उनके अधिकार और दायित्व अंततः और प्रभावी रूप से सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के बदले क़ानून के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा तय किए जाते हैं, और चुनाव कार्यवाही के दौरान निकाले गए या दर्ज किए गए निष्कर्ष बिना किसी पूर्वाग्रह के होंगे और अंततः ऐसे वैधानिक मंचों द्वारा सभी या किसी भी कार्यवाही और निर्णय के अधीन होंगे। किसी भी घटना में उचित सुनवाई और प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किए बिना, उच्च न्यायालय अचानक निष्कर्ष पर पहुंच गया है। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय का आदेश एक से अधिक कारणों से टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय की दुर्बलता को और बढ़ाने के लिए धनवापसी के लिए और उन लोगों के पक्ष में निर्देश दिया गया है जिन्होंने न्यायालय से संपर्क नहीं किया है, जैसे कि यह संबंधित सहकारी समिति अधिनियम के तहत परिकल्पित वैधानिक मध्यस्थता कार्यवाही का निर्णय

ले रहा है। यह किसी निकाय का मामला नहीं था कि किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से भूगतान करने के लिए कहा गया हो, या ऐसा कोई संग्रह अवैध रूप से किया गया हो। अन्य सदस्यों को धनवापसी का निर्देश बिना सोचे समझे और पूरी तरह से अनावश्यक है। रिकॉर्ड और पत्राचार स्पष्ट रूप से मंगाए गए थे। यदि उच्च न्यायालय इस मामले पर निर्णय लेना चाहता था तो उसे उन पर गौर करने के बाद किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। यहां तक कि ऐसा निर्णय, जैसा कि ऊपर देखा गया है, सांविधिक मध्यस्थता कार्यवाही में किसी भी निर्णय के अधीन किया जाना चाहिए, न कि पक्षों के बीच नागरिक देनदारियों को अंतिम रूप से तय करने के लिए। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करते हैं और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए प्रतिपेषित करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अन्य सदस्यों को धनवापसी के लिए दिए गए निर्देशों को रद्द करने और उच्च न्यायालय को ऐसा कोई निर्देश देने से रोकने के अलावा, बाकी मामले पर कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और ऐसी कवायद केवल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ "व्यतिक्रमी या नहीं" व्यवहार करने के सीमित उद्देश्य के लिए हो सकती है, न कि किसी भी राशि की वसूली करने के समिति के अधिकार को रोकने के लिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी 1 लगायत 3 ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए 27.8.2003 को समिति के रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन दायर किया है, जो अकेले उनके नागरिक दायित्व को अंतिम और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए उचित प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय स्वयं प्रत्यर्थियों 1 लगायत 3 (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं) द्वारा अपनाए गए उपाय के मद्देनजर रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय देने की वांछनीयता पर विचार करेगा। सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष, पहले से ही उनके प्रभावी उपायों का लाभ उठा रहे हैं। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। तां जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।
